भारतीय प्रवासन केंद्र (आईसीएम)
(विदेश मंत्रालय की पंजीकृत संस्था)
वर्ष 2016-17 का फेलोशिप कार्यक्रम

भारतीय प्रवासन केंद्र वर्तमान फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक (ईएमवी) का मसौदा तैयार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी क्षेत्र में कार्यरत विद्वानों, पेशेवरों, शिक्षाविदों से आवेदन आमंत्रित करता हैं जो भारत में नीति निर्माताओं विशेषकर भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन या भारत के लोगों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन संबंधी विषयों के विशेषज्ञ हों ।

इस फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य मूलभूत नीति-शोधकार्य के अवसर विश्लेषण सहित प्रदान करना तथा इस क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी देना है जो विदेश मंत्रालय के लिए प्रवासन प्रबंधन विधेयक का मसौदा तैयार करने तथा विदेश मंत्रालय के संबंधित प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो ।

फेलोशिप की संख्या : एक

अवधि : छह माह, मूल्याकन समिति के अनुमोदन पर संभावित अतिरिक्त समयावधि के साथ ।

आवश्यक योग्यता :

प्रार्थी का निम्नलिखित योग्यता का होना अनिवार्य है, साथ ही उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संबंधी सामाज-विज्ञान/ श्रम अध्ययन / श्रम कल्याण / श्रम एवं प्रवासन करार/ प्रवासन एवं शरणार्थी कानून विषय से पी.एच.डी और तत्संबंधी अन्य विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए या उसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कानून/ श्रम कानून/ श्रम कल्याण / श्रम एवं प्रवासन करार/ प्रवासन एवं शरणार्थी कानून विषय से एलएलएम की डिग्री प्राप्त की हो :

डिग्री	पीएच.डी	एल एल एम

वर्ष का अनुभव	**किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्था में कम से कम पाँच वर्षों का शोधकार्य/शिक्षण/ या संबंधित विषय का व्यावहारिक अनुभव**	**मान्यता प्राप्त संस्था में मजदूरों की भर्ती कार्य का अनुभव / जन शक्ति प्रबंधन / श्रम कानून / प्रवासन व शरणार्थी कानून/ श्रम एवं प्रवासन करार या अन्य संबंधित विषयों का कम से कम पांच वर्षों का अनुभव ।**
प्रकाशन	**अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन/श्रम अध्ययन/श्रम कानून/ श्रम एवं प्रवासन करार/प्रवासन एवं शरणार्थी कानून तथा अन्य संबंधित विषयों पर कम से कम तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन या संपादित अंक जिनकी समीक्षा संबंधित विशेषज्ञों द्वारा की गयी हो ।**	**श्रम या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, मजदूरी कानून, भर्ती एजेंसियों, जन शक्ति एजेंसियों, श्रम एवं प्रवासन करार तथा अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों पर कम से कम पांच प्रकरणों की रिपोर्ट**

<u>वांछनीय योग्यता :</u>

1. **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन/ श्रम अध्ययन/ श्रम कल्याण/ श्रम एवं प्रवासन करार/ प्रवासन एवं शरणार्थी कानून और अन्य प्रासंगित विषयों पर शोध/ प्रकाशन/ रिपोर्ट/ परियोजना/ प्रकरण आदि का अध्ययन संपूर्ण हो चुका हो ।**
2. **शोध/ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के क्षेत्र में शैक्षिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन/ श्रम अध्ययन/ श्रम कल्याण/श्रम एवं प्रवासन करार/ प्रवासन शरणार्थी कानून तथा अन्य प्रासंगिक क्षेत्र । कृपया अपनी शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, प्रकाशनों की सूची तथा कार्य अनुभव का ब्यौरा विज्ञापन में दिए गए प्रारूप/कोष्ठक के अनुसार ही भरें । <u>अन्य रूप में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।</u>**

नोट : कृपया अपेक्षित दस्तावेज अपने सीवी के साथ संलग्न करें ।

<u>कार्य निष्पादन :</u>

फैलोशिप कार्यक्रम के लिए चुने गए अध्येता उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक की जांच करेंगे जिनमें

निम्नलिखित विशिष्ट कार्य भी शामिल होंगे :

(क) 1983 के उत्प्रवास अधिनियम तथा नियमों की जांच करना तांकि उन प्रावधानों के बारे में पता लगाया जा सके जिनका संशोधन किया जाना आवश्यक है ।

(ख) प्रवासन अधिनियम तथा नियमों के उन प्रावधानों की जांच, समीक्षा तथा पहचान करना दिन पर अन्य देश सर्वोच्च रूप से अमल करते हैं विशेषकर कोलंबो प्रक्रिया तथा अबू धाबी वार्ता के संदर्भ में ।

(ग) मंत्रालय के संबंधित विभाग के परामर्श से भारत के लिए उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक का एक विकसित मसौदा तैयार करना ।

(घ) यथा आवश्यक अन्य कार्यों का निष्पादन ।

चयन प्रक्रिया :

सभी आवेदकों का मुल्यांकन उम्मीदवार के अनुभव तथा प्रवासन कानून संबंधी उनके ज्ञान के आधार पर किया जाएगा । सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर एक समिति द्वारा संचालित साक्षात्कार के लिए कुल 5 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा ।

आवश्यक अपेक्षाएँ :

1. अध्येता फेलोशिप के दौरान पूर्णकाल के लिए भारतीय प्रवासन केंद्र के साथ संलग्न रहेंगे । इस दौरान वे कोई अन्य रोजगार नहीं करेंगे । भारतीय कानून के तहत फैलोशिप अनुदान संबंधी सभी आवश्यक घोषणाओं का अनुपालन अध्येता द्वारा किया जाएगा ।
2. अध्येता से यह उम्मीद की जाएगी कि वह 13000- 15000 शब्दों में मूल रूप से नीति/ शोध पत्र तैयार करे तथा भारतीय प्रवासन केंद्र द्वारा आयोजित सेमिनार में अपना पत्र प्रस्तुत करे । इस अंतिम रिपोर्ट/पत्र के साथ उनकी फैलोशिप का समापन होगा । यह रिपोर्ट फैलोशिप समाप्ति के दो महीने पूर्व प्रस्तुत की जाए तांकि मूल्यांकन समिति की सलाह पर उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सके ।
3. फैलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत पहले छः महीने में अध्येता को भारतीय प्रवासन केंद्र पर फैलोशिप कार्यक्रम के दौरान 7000-8000 शब्दों में अपना दो शोध कार्य-पत्र तैयार करना आवश्यक है । यह पत्र फैलोशिप के तहत किए गए शोध-कार्यों के निष्कर्षों के आधार पर होने चाहिए ।
4. अध्येता का भारतीय प्रवासन केंद्र में आयोजित चर्चाओं, सेमिनारों, प्रस्तुतियों (Presentation) तथा अन्य प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है । आवश्यक समझे जाने पर उन्हें भारत में यात्राएं भी करनी होंगी ।
5. मूल्याकन समिति के अनुमोदन पर संभावित अतिरिक्त समयावधि के साथ इस फेलोशिप की अवधि छह

माह होगी ।

6. अध्येता अपने शोध-कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में भारतीय प्रवासन केंद्र द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करेंगे ।
7. जैसा कि भारतीय प्रवासन केंद्र के फैलोशिप कार्यक्रम में तय किया गया है, अगर फैलोशिप की अवधि छः महीने से अधिक होती है तो अध्येता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक तिमाही प्रगति प्रस्तुति (Presentation) तैयार करे जिसमें मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली एक रिपोर्ट और प्रस्तुति (Presentation) भी शामिल रहेंगे । मूल्यांकन समिति का गठन अध्यक्ष, भारतीय प्रवासन केंद्र के अनुमोदन से किया जाएगा जिसमें इस विषय के शैक्षणिक विशेषज्ञ तथा अध्यक्ष, भारतीय प्रवासन केंद्र द्वारा नामित अधिकारीगण शामिल रहेंगे ।
8. सभी अध्येता भारतीय प्रवासन केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या भारतीय प्रवासन केंद्र के अध्यक्ष द्वारा इस कार्य के लिए नामित अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे ।
9. फैलोशिप की प्रस्तावित समयावधि में अतिरिक्त बढ़ोतरी के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय प्रवासन केंद्र तथा मुल्यांकन समिति की सिफारिश पर भारतीय प्रवासन केंद्र के अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक है ।

फेलोशिप राशि :

10. अध्येताओं को प्रति माह 65,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा (लागू नियमों के अनुसार टीडीएस काटा जाएगा) ।
11. गुणवत्ता तथा शोधकार्य समय पर पूरा करने की सुनिश्चितता के लिए फेलोशिप की 20 प्रतिशत राशि तब तक रोक कर रखी जाएगी जब तक इस उद्देश्य से गठित की गई समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत नहीं कर देती । अध्येता द्वारा प्रस्तुत हरेक अंतिम रिपोर्ट का मुल्यांकन भारतीय प्रवासन केंद्र दो महीने के अंदर कर देगा ।
12. अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं इस फैलोशिप के अंतर्गत नहीं आएंगी । शोध कार्य के लिए की जाने वाली घरेलू यात्राओं के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय प्रवासन केंद्र का अनुमोदन तथा समर्थन अपेक्षित है ।

बौद्धिक सम्पदा :

13. भारतीय प्रवासन केंद्र के अनुदान से किए गए शोध कार्य के फलस्वरूप उत्पन्न सभी बौद्धिक सम्पदाओं पर मालिकाना हक भारतीय प्रवासन केंद्र का होगा । बौद्धिक खोज, शिक्षा या शिक्षण प्रयोजन के लिए अध्येता इन शोधों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा । अध्येता द्वारा भारतीय प्रवासन केंद्र के अनुदान से किए गए शोध कार्य पत्रिका/पुस्तक में प्रकाशित करने की विधिवत अधिसूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

भारतीय प्रवासन केंद्र को दी जानी आवश्यक है । अध्येता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भारतीय प्रवासन केंद्र से अनुदान एवं सहयोग प्राप्ति सूचना देगा तथा प्रकाशन की तीन प्रतियां भारतीय प्रवासन केंद्र में जमा करेगा ।

14. भारतीय प्रवासन केंद्र द्वारा प्रदत्त अनुदान से किए गए शोध कार्य का व्यापारीकरण भारतीय प्रवासन केंद्र द्वारा जाहिर अनुमति तथा स्वीकृति की शर्तों के आधार पर किया जाएगा ।

मुल्यांकन

1. जैसा कि फेलोशिप कार्यक्रम की आवश्यकताओं में उल्लेख किया गया है, अध्येता द्वारा संपादित सभी कार्यों की जांच भारतीय प्रवासन केंद्र के अध्यक्ष के अनुमोदन पर इस कार्य के लिए गठित समिति द्वारा की जाएगी ।
2. मुल्यांकन समिति अध्येता द्वारा प्रस्तुत कार्य-पत्र, मध्यावधि तथा अंतिम रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगी । कार्य की विशेषता के आधार पर आवश्यकतानुसार, मूल्यांकन समिति भिन्न रूपों मे गठित की जा सकती है । पर इस समिति, का गठन भारतीय प्रवासन केंद्र के अध्यक्ष के अनुमोदन से ही किया जाएगा । ।

सुविधाएँ :

फैलोशिप के अंतर्गत पूर्णकालिक शोध/ परियोजना कार्य के सुगम क्रियांवयन के लिए भारतीय प्रवासन केंद्र कार्यालय के लिए जगह, इन्टरनेट कनेक्शन तथा अन्य संबंधित सुविधाएँ प्रदान करेगा । सभी अध्येताओं को भारतीय प्रवासन केंद्र पर ऑनलाइन पत्रिकाएँ उपलब्ध होंगी । अध्येता भविष्य निधि तथा ग्रुप इंस्यूरेंस योजनाओं में अपना अंशदान नहीं करेंगे बशर्ते भारतीय प्रवासन केंद्र द्वारा उनके लिए ऐसी किसी योजना की शुरुआत नहीं की जाती ।

स्थान : भारतीय प्रवासन केंद्र, नई दिल्ली

उम्मीदवार दिल्ली में रहेंगे और भारतीय प्रवासन केंद्र के कार्यालय में काम करेंगे ।

अध्येताओं द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन :

हरेक अध्येता को पहली तिमाही के उपरांत विदेश मंत्रालय और भारतीय प्रवासन केंद्र के उपस्थित आंतरिक सदस्यों के समक्ष कम से कम एक प्रदर्शन करना आवश्यक है ।

सभी अध्येताओं को एक मध्यावधि प्रेसेंटेशन (6 महीने के उपरांत) विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि हो रही प्रगति का आंतरिक मुल्यांकन हो सके ।

सभी अध्येताओं को फैलोशिप की समापन के एक माह पूर्व विशेषज्ञ समिति के समक्ष अंतिम प्रस्तुति (Presentation) देना आवश्यक है तांकि कार्य की अंतिम रिपोर्ट का संशोधन किया जा

सके । भारतीय प्रवासन केंद्र प्रेसेंटेशन के समय संबंधित हित धारकों को आमंत्रित करने का प्रयास करेगा ।

इस्तीफा और निष्कासन

फैलोशिप का यह प्रस्ताव व्यक्ति के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर है और भारतीय प्रवासन केंद्र द्वारा बिना कारण बताए 15 दिन के नोटिस पर उसे निष्कासित किया जा सकता है । भारतीय प्रवासन केंद्र में कम से कम छः महीने गुजारने के बाद एक महीने की पूर्व नोटिस पर अध्येता अपना इस्तीफा दे सकता है । सभी फैलोशिप की आवश्यकताओं का निर्धारण भारतीय प्रवासन केंद्र में व्यतीत की गयी समयावधि के आधार पर किया जाएगा ।

छुट्टियां

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय प्रवासन केंद्र के पूर्व अनुमोदन पर फैलोशिप अवधि के दौरान अध्येता माह में एक दिन की छुट्टी ले सकता है । लेकिन इस छुट्टी को भुनाया नहीं जा सकता । माह में एक दिन की प्राप्य धुट्टी के अतिरिक्त अनुमोदन के बिना ली गई छुट्टियां तथा मुआवजों का समायोजन हर माह अनुपस्थित दिनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा । कार्यालय से बाहर जाने, यहां तक कि पुस्तकालय जाने के लिए भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय प्रवासन केंद्र की मंजूरी आवश्यक है ।

आवेदन की विधि

आवेदन के साथ संलग्न करें :

- फैलोशिप का उद्देश्य और आशय 300 शब्दों में (एरियल 12 फोन्ट, सिंगल स्पेसिंग) प्रस्तुत करें तथा स्पष्ट करें कि अध्येता के लिए यह किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होगा ।
- अद्यतन बायोडाटा (अधिकतम 2 पेज, एरियल 12 फोन्ट)
- दो विशेषज्ञों/ शिक्षाविदों/ अधिकारियों का सिफारिशी पत्र । पी.एचडी उम्मीदवार एक पत्र अपने पर्यवेक्षक से ले सकता है ।
- नीचे दी गई तालिका के अनुसार वांछित जानकारी ।
- प्रकाशन के संबंध में आवेदन में मांगी गई अतिरिक्त सूचना ।

आवेदन की अंतिम तिथि :

फैलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन दिनांक 18 मार्च 2016 से 2 अप्रैल, 2016 तक स्वीकार किए जाएंगे ।

आवेदन मेल या ईमेल द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय प्रवासन केंद्र, कमरा नं. 1011, अकबर भवन, यशवंत प्लेस, नई दिल्ली -110021 ईमेल- icm.moia@gmail.com पर भेजें

।

कृपया लिफाफे के ऊपर / ईमेल पर यह विषय लिखें- "Fellowship Program at ICM for 2016-17".

2 अप्रैल 2016 के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

सभी आवेदनों पर भारतीय प्रवासन केंद्र का निर्णय अंतिम होगा ।

<u>नोट :</u>

अध्येता/ अध्येताओं के चयन के विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारी को अपेक्षित आवश्यकताओं में छूट देने का अधिकार है । अतः जो उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता से परिपूर्ण नहीं है वह भी आवेदन कर सकता है ।

आवेदक की सूचना तालिका में :
नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदक अपना अद्यतन सीवी का ब्यौरा अन्य आवश्यक ब्यौरे के साथ प्रस्तुत करें ।

शिक्षा:

प्रार्थी का नाम	**जन्म तिथि**	शिक्षा			
	डिग्री	विषय	विश्वविद्यालय का नाम	अवधि (से -तक)	पर्रतिशत/ श्रेणी

कार्य अनुभव:

संस्था	**पदनाम**	**से**	**तक**	निभाए गए उत्तरदायित्व	कुल वर्ष हर संस्था में
कार्य अनुभव के कुल वर्ष -					

प्रकाशन:

क्रम	पत्रिका/पुस्तक का नाम	आवेदक के लेखन	प्रकाशन वर्ष	प्रकाशक का

सं.		/आलेख का शीर्षक		नाम

कार्यान्वित परियोजना का ब्यौरा/योजना रिपोर्ट :

क्रम सं.	**परियोजना/ रिपोर्ट**	**केंद्र विषय**	समापन वर्ष

पुस्तक समीक्षा/आलेख:

क्र.सं.	पत्रिका/ समाचार पत्र/जर्नल का नाम	आलेख का शीर्षक	प्रकाशन वर्ष	प्रकाशक का नाम

फैलोशिप/ अनुदान का ब्यौरा :

क्र.सं.	**फैलोशिप का ब्यौरा**	**संस्था**	**वर्ष**